

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : अपील संख्या : 1734 / 2014 जिला : बीकानेर

उनवान मैसर्स लक्ष्मी आयरन स्टोर, लूणकरणसार, बीकानेर दत्ताम वाक़.अ., प्रतिकरापवंचन, बीकानेर व अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अडकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	----------------------------------	--

29.09.2014

एकलपीठ  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

अपीलार्थी के ओर से श्री जे.एन.शर्मा, अधिकारी, एवं विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अधिकारी उपरिथित।

यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्तित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा), की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.08.2014 में विद्यादित मांग राशि रु. 5,89,906/- में से रु. 2,75,640/- की वसूली पर स्थगन करते हुए रोप रु. 2,94,266/- की वसूली पर स्थगन प्रदान नहीं किया गया है, किन्तु अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई सम्पूर्ण राशि पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षीय की बहस सुनी गयी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलार्थी आदेश दिनांक 11.09.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में विद्यादित मांग राशि रु. 5,89,906/- में से रु. 2,75,640/- की वसूली पर स्थगन प्रदान पर अवशेष राशि रु. 2,94,266/- पर रोक नहीं लगाने के सामन्य में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरण के गुणावत्तु को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी ज्ञाहारी द्वारा आवेदित राशि के स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के सामने उनके सतोप के अनुरूप समुदित जनान्त (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित करा जाता है एवं इस समय में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावत्त पर निरस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

  
 (सुनील शर्मा)  
 सदस्य